163 164

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डंल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

निगरानी कमांक–................/..........

निगरानी /703-II-15

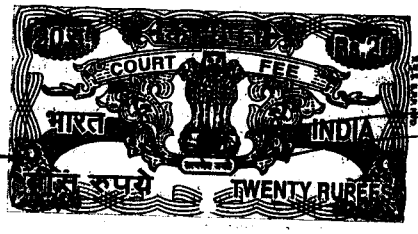

RO. 201

148
18.5.15

इन्द्रजीत द्विवेदी पिता श्री सौखीलाल द्विवेदी उम्र 63 वर्ष निवासी
ग्राम खनगढ़ तहसीलरधुराज नगर जिला सतना म0प्र0 ——–निगराकार/रेस्पा.

बनाम

1–रमाकांत त्रिपाठी पिता श्री हीरालाल त्रिपाठी निवासी ग्राम खनगढ़
तहसीलरधुराज नगर जिला सतना म0प्र0
2–दादूलाल पिता प्रयाग तिवारी साकिन बिरसिंहपुर–(फौत)—–गैरनिग0/अपी0गण

श्री बृजेश पाण्डेय एड के द्वारा आज दिनांक 18.5.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी रधु0 सतना के राजस्व अपील क्र0 64/13–14 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 06.04.15.

क्रमांक 5508
रजिस्टर्ड पोस्ट आज
दिनांक..........

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनती है।

संक्षिप्त तथ्य

पत्रक से 15-6-15
राजस्व म... ...नियम

गैरनिगराकार/अपी0 द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रधुरांज नगर के समक्ष विचारण न्यायालय अधीक्षक भूअभिलेख सतना के द्वारा प्रकरण 70अ6/11–12 मे पारित आदेश दिनांक 15.06.12 के संबंध में अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई की निगराकार द्वारा जो वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रमाणित करायागया है वह सहिंता की धारा 109/110 के पूर्णतया विपरीत है क्योंकि उक्त आराजी के मूल भूमिस्वामी द्वारा पूर्व में ही आराजी विक्रीत की जा चुकी थी जिसके संबंध में निगराकार के पक्ष में प्रमाणित नामान्तरण निरस्त किया जाय । जिसमे अपील विलम्बं से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में धारा 5 म्याद अधिनियम एवं आवश्यक पक्षकार के रूप में अपील समायत किये जाने के संबंध में भी याचना की गई तथा धारा 5 म्याद अधि0 के आवेदन पत्र मे विचारण न्यायालय के आदेश की किसी प्रकार से कोई जानकारी न होने के आधार पर अपील में हुए विलम्बं को क्षमा किये जाने के संबंध में निवेदन किया गया ।

निगराकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर धारा 5 परिसीमा अधिनियम का जबाव प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया की गैरनिगराकार नामान्तरण प्रकरण का किसी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार नही था बल्कि दादूलाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.1703–II/15 जिला–सतना

इन्द्रजीत द्विवेदी/रमाकांत त्रिपाठी

(1)	(2)	(3)
17.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	